रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, सितम्बर 29—अक्तूबर 5, 2013, शनिवार/आश्विन 7—आश्विन 13, 1935

No. 40] NEW DELHI, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2013, SATURDAY/ASVINA 7—ASVINA 13, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 241.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व विभाग, सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 1983 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी (प्रशासनिक अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षक) भर्ती नियम, 1987 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय विरचनाओं और निदेशालयों में प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	985* (2013) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: 655 सीमा शुल्क: 261 सभी निदेशालय: 68 सीआरसीएल: 01 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 9300—34800 रु., ग्रेड वेतन 4600 रु. के साथ	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन ऐसी उप कार्यालय अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** उप कार्यालय अधीक्षक (स्तर-1) या उप कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) (उपकार्यालय अधीक्षक के रूप में अभिहित) की श्रेणियों में विलय के पूर्व की गई सेवा, प्रोन्नति की पात्रता की गणना के हिसाब में ली जाएगी । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची काडर के भीतर पारस्परिक ज्येष्ठता के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन विभिन्न श्रेणियों के उपकार्यालय अधीक्षकों द्वारा अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख को प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण 3 :** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए अनिवार्य होगा। कोई अधिकारी जिसने प्रोन्नति के पूर्व प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया है, उसे प्रोन्नति से दो वर्ष के भीतर उसी को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा । कोई अधिकारी जिसने प्रशासनिक अधिकारी के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, उस पर मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा । वे अधिकारी जिनकी प्रोन्नति पर सेवा निवृत्ति के पूर्व एक वर्ष से कम की सेवा शेष है, उन्हें छूट दी जा सकेगी । **टिप्पण 4 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण: 5.** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. मुख्य आयुक्त, काडर नियंत्रण प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. काडर नियंत्रण से संबध आयुक्त —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(12)
3. अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (पी और वी) —सदस्य
टिप्पण : सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरेट के आंचलिक काडर, सभी निदेशालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति आयोजित की जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/01/2005-प्रशा. 2क]
एस. ए. अंसारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd October, 2013

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Revenue Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer Recruitment Rules, 1983 and the Central Excise Collectorates (Administrative Officer/Assistant Chief Accounts Officer/Examiner of Accounts) Recruitment Rules, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the field formations and Directorates under the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue in the Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Administrative Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay of pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	985* (2013) Central Excise : 655 Customs : 261 All Directorate : 68 CRCL : 01 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade pay of Rs. 4600	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	Promotion : Deputy Office Superintendent under the Central Board of Excise and Customs in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade. **Note 1:** The service rendered in the pre-merger grades of Deputy Office Superintendent Level-I or Deputy Office Superintendent Level-II (designated as Deputy Office Superintendent) shall be taken into account in computing the eligibility for promotion. **Note 2 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of qualifying service by the Deputy Office Superintendents of different cadres under the Central Board of Excise and Customs, of prescribed service in the grade with inter-se seniority within the cadre remaining the same. **Note 3 :** Successful completion of training as prescribed by the Central Board of Excise and Customs shall be mandatory for

(11)

promotion to the post of Administrative Officer. An officer who has not completed the training before promotion shall have to successfully complete the same within two years from promotion. An officer who has not successfully completed mandatory training for Administrative Officer shall not be considered for promotion to the post of Chief Accounts Officer. Officers with less than one year of service remaining before retirement on promotion, stand exempted from training.

Note 4 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 5 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (1) Chief Commissioner, Cadre Controlling Authority —Chairman (2) Commissioner concerned with Cadre Controlling —Member (3) Additional Commissioner or Joint Commissioner (P and V) —Member **Note:** Departmental Promotion Committee shall be held on the basis of zonal cadre of Customs and Central Excise Commissionerates, all Directorates and Central Revenue Control Laboratory (CRCL).	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2005-Ad.IIA]

S. A. ANSARI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 242.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सा.का.नि. 165 दिनांक 3-7-2012 द्वारा अधिसूचित विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (समूह 'ग' अराजपत्रित पद), उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2012 को